स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई,
सरकारी आईटीआई के पास, मालपुरा रोड दूदू,
जिला - जयपुर, राजस्थान - 303008

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De.Aff. / 2020/25138 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 11.06.2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमे यह बताया गया है कि **आपके संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाया गया है** । अंत: राजस्थान सरकार द्वारा आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । **(पत्र की प्रति संलग्न)**

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (30.06.2021 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

- आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), W-6 रेसीडेंसी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर-342001, (राजस्थान) ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000136) ।

रवि 15/6/2021

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर
डब्ल्यू–6,रेजिडेन्सी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर 342001

क्रमांक –प.स.7(12)/प्र–1/प्रा.औप्रस./De.Aff./2020/25138 दिनांक 11.06.2021

उपमहानिदेशक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कौशल विकास एंव उद्यमशिलता मंत्रालय,
रूम नं. 105,प्रथम तल, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बिल्डिग,
पूसा आईटीआई केम्पस के पास, पूसा नई दिल्ली–110012

विषयः–प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के डीएफिलेशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी परीक्षा शाखा जोधपुर द्वारा विभिन्न पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित प्राइवेट औ.प्र.संस्थानों में औजार उपकरण,साजो सामान नहीं होने के कारण संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 का संचालन नहीं होने के कारण इन संस्थानों के विरूद्ध डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी। राज्य निदेशालय द्वारा इन संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर इनसे स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर मांगा गया था। इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने पर संस्थान एनसीवीटी मानदण्डानुसार संतोषपूर्ण नहीं पाये गये। विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	NCVT MIS CODE	औ.प्र.संस्थानों के नाम	संलग्न
1.	PR08001631	GYAN GANGA PRIVATE ITI, AMBUJA CEMENT BALUPURA, DIST. PALI	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एंव जांच रिपोर्ट।
2.	PR08001362	NEW TARGET PRIVAE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,TEHSIL. CHOMU, DIST. JAIPUR-303702 RAJASTHAN	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रतिएंव जांच रिपोर्ट।
3.	PR08000136	VISHVAKARMA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NEAR GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALPURA ROAD, DUDU (JAIPUR)	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एवं निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एंव जांच रिपोर्ट।

उपरोक्त संस्थानों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाये जाने के कारण डीएफिलिएशन की कार्यवाही प्रस्तावित हैं। कृपया डीएफिलिएशन की कार्यवाही शीघ्र कराने की आवश्यक कार्यवाही करा सूचित कराने का श्रम करावे।

संलंग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक –प.स.7(12)/प्र–1/प्रा.औप्रस./De.Aff./2020/25139-142 दिनांक 11.06.2021

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, कार्यालय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सुचनार्थ।
3. निदेशक आर.सी.वी.टी. जोधपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
4. निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर
आई.टी.आई. सर्कल के पास, सरस डेयरी रोड़, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (342003)
E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com, rcvet.exam.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र–5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/80199 दिनांक 3/12

निदेशक प्रशिक्षण,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान,
जोधपुर।

विषयः विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला–जयपुर) के विरूद्ध **Deaffiliation** कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः परीक्षा नोडल अधिकारी, राजकीय औ.प्र. संस्थान दूदू के पत्रांक 437 व [illegible] दिनांक 01.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर, 2020 हेतु डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 (प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार औ.प्र. संस्थानों को Self Center बनाये गये थे। जयपुर जिले में स्थित विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला–जयपुर) को भी परीक्षा का Self Center बनाया गया था।

परीक्षा नोडल अधिकारी, राजकीय औ.प्र. संस्थान दूदू द्वारा संदर्भित पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि दिनांक 01.12.2020 को उक्त संस्थान में प्रायोगिक परीक्षा होनी थी, परन्तु संस्थान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया। इसकी पुष्टि प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक एवं उडन दस्ता दल द्वारा की गई। प्राचार्य, विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला–जयपुर) द्वारा परीक्षा कराने से मना किया गया। संस्थान द्वारा परीक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में गम्भीर अनियमितता की गई है। अतः डीजीटी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार उक्त संस्थान में परीक्षा निरस्त की जाकर प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा राजकीय औ.प्र. संस्थान, दूदू में आयोजित करने की व्यवस्था की गई। परीक्षा नोडल अधिकारी एवं उडनदस्ता दल की रिपोर्ट संलग्न है।

अतः डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार, **विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, दूदू (जिला–जयपुर)** परीक्षा दिवस में बन्द होने तथा संस्थान में परीक्षा संचालन नहीं हो पाने की स्थिति के फलस्वरूप संस्थान के विरूद्ध **Deaffiliation** की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक, आरसीवीईटी

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र–5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/80200-202 दिनांकः 5/12/20

1. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर।
3. आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति जयपुर।

उपनिदेशक, आरसीवीईटी

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.)

क्रमांकःआ.–प्रा.शि.नि./निरीक्षण/20–21/ 10045 दिनांक 13/1/[illegible]

प्राचार्य/अधीक्षक
विश्वकर्मा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान
दूदू, जिला जयपुर। P0371

कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)

विषय– संस्थान के एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान पायी गयी गम्भीर कमियों/अनियमितताओं (Deficiencies / Irregularaties) के स्पष्टीकरण के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी के पत्र क्रमांक 80199 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान शिकायत / जॉच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान, में निम्न कमिया पायी गयी –

1 दिनांक 01.12.2020 को प्रायोगिक परीक्षा के दिन उड़नदस्ता निरीक्षण दल द्वारा आपके संस्थान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में संस्थान के मैन गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया।
2 संस्थान द्वारा परीक्षा कराने के लिए मना करना, संस्थान परीक्षा दिवस के दिन बन्द पाया जाना एवं संस्थान में परीक्षा संचालन नहीं हो पाना।
3 संस्थान द्वारा परीक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में गम्भीर अनियमितता की गई है।

अतः आपको इस नोटिस के साथ निर्देशित किया जाता है कि संस्थान अपना स्पष्टीकरण (मय प्रमाण) के साथ में 10 दिवस की अवधि में निदेशालय को प्रेषित करे।

कृपया अवगत रहे कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति व NCVT Norms अनुसार संस्थान का संचालन न होने की स्थिति में संस्थान के विरूद्ध डी–एफिलिएशन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रकरण डीजीटी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

- निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद : भूराराम चौधरी, अधीक्षक ITI सांगानेर
- निरीक्षण दिनांक व समय : 17-3-2021 11 AM

	भाग–1 : सामान्य	
1.	संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नं0	विश्वकर्मा PVT. I. T. I मालपुरा रोड, दूदू 9261999904
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी – ....बजे से............बजे तक द्वितीय पारी– ....बजे से............बजे तक
4.	स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :	

	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या '	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित है अथवा नहीं	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है, यथा (नाम– उपस्थित/अनुपस्थित)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7		संस्थान बन्द पाया गया।						
8					Locked			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(' निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

5	कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
	(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	
	(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	
	(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	
	(द) लॉग बुक अनुरक्षण	
	(य) Syllbus Break up की उपलब्धता	
	(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	
	(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(श) ऑडियो विजुअल(Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	
	(स) प्रोग्रेस कोर्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नही	
6.	विद्युत एवं जल व्यवस्था	
	(अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई	निर्धारित..................किलोवॉट / उपलब्ध..................किलोवॉट
	(ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखो की व्यवस्था	पर्याप्त / अपर्याप्त
	(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीएचईडी / बोर-वेल / कुंआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	
7.	पुस्तकालय की व्यवस्था	
8.	सुरक्षा	
	(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	
	(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	
	(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्टस् पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	
	(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	
9.	प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें	
	(अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	
	(ब) शौचालय की व्यवस्था	
	(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	
	(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	
10.	संस्थान की व्यवस्था	
	(अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	
	(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	
	(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	
	(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	
	(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है : (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए हैं अथवा नही)	
11.	संस्थान प्रबन्धन	
	(अ)संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC)अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	
	(ब)समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	

12.निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं / कमियों / विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।)

निरिक्षण के समय संस्थान बन्द पाया गया। प्रदर्शित मोबाईल नं. 9261999904 पर सम्पर्क करने पर नम्बर Not Exist का Massage मिला। आसपास के व्यक्तियों से पुछने पर संस्थान को लम्बे समय से बन्द की सुचना प्राप्त हुई।

संस्थान प्रभारी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

(भूराराम चौधरी)
अधीक्षक
ITI सांभर लेक